



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 543]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 28, 2013/कार्तिक 6, 1935

No. 543]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 28, 2013/KARTIKA 6, 1935

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय  
(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर, 2013

सा.का.नि. 711(अ).—केन्द्रीय सरकार, बायलर अधिनियम, 1923 (1923 का 5) की धारा 20 और 20क के साथ पठित धारा 28क की उप-धारा (1) और धारा 28क की उप-धारा (1क) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बायलर अपील नियम 2013 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—(1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) “अधिनियम” से बायलर अधिनियम, 1923 (1923 का 5) अभिप्रेत है;

(ख) “अपील बोर्ड” से नियम 13 के अधीन गठित बोर्ड अभिप्रेत है;

(ग) “मुख्य निरीक्षक” से अधिनियम के अधीन मुख्य निरीक्षक के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(घ) “निरीक्षण प्राधिकारी” का वही अर्थ होगा जो उसका अधिनियम की धारा 2 के खंड (गगघ) के अधीन है;

(ङ) “तकनीकी सलाहकार” से अधिनियम की धारा 4क की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त तकनीकी सलाहकार अभिप्रेत है;

3. अपील प्राधिकारी.—अधिनियम की धारा 20 के अधीन नियुक्त तकनीकी सलाहकार “अपील प्राधिकारी” होगा।

4. अपील फाइल करना.—प्रत्येक अपील हिंदी या अंग्रेजी में की जाएगी और किसी आदेश या आदेश करने से इनकार करने की संसूचना, जिसके विरुद्ध अपील किए जाने का चयन किया गया है, मिलने के तीस दिन की अवधि के भीतर तकनीकी सलाहकार को प्रस्तुत की जाएगी।

5. **अपील प्रस्तुत करना.**—कोई अपील या तो व्यक्तिगत रूप से या रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा तकनीकी सलाहकार को प्रस्तुत की जा सकेगी।
6. **अपील का प्ररूप.**—अपील के साथ मूल आदेश, अपील आदेश, इनकार सूचना या वह रिपोर्ट जिसके विरुद्ध अपील की गई है या उसकी प्रमाणित प्रति या जहां ऐसा कोई मूल आदेश अपील आदेश, इनकार, सूचना या रिपोर्ट लिखित में नहीं की गई है के साथ उन तथ्यों जिनके विरुद्ध अपील की गई है का एक स्पष्ट विवरण, अपील के आधार और अधिनियम की सुसंगत धाराएं संलग्न की जाएंगी।
7. **सुनवाई की तारीख नियत करना.**—किसी अपील की प्राप्ति पर, तकनीकी सलाहकार अपील की प्राप्ति की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर अपील की सुनवाई की तारीख नियत करेगा और अपीलों का विनिश्चय करने के लिए कोई विलंब नहीं किया जाएगा।
8. **सुनवाई के दौरान प्रक्रिया.**—(1) सुनवाई की तारीख नियत होने पर, तकनीकी सलाहकार सुनवाई की तारीख का कथन करते हुए और अपीलार्थी को सूचित करते हुए कि यदि अपीलार्थी अपील के पक्ष में सुने जाने की या साक्ष्य प्रस्तुत करने की बांछ रखता है तो वह अनिवार्यतः या तो व्यक्तिगत रूप से या उसके साक्ष्य के साथ नियत तारीख को प्राधिकृत अभिकर्ता के माध्यम से प्रस्तुत होने की सूचना जारी करेगा।  
(2) सूचना ऐसे पते पर जो कि याचिका में दर्ज किया गया है पर रजिस्ट्रीकृत डाक से या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजी जाएगी और यदि वास्तविक कारणों से अपीलार्थी सुनवाई के लिए नियत तारीख को या तो व्यक्तिगत रूप से या प्राधिकृत अभिकर्ता के माध्यम से प्रस्तुत होने में असमर्थ है तो वह इसकी लिखित सूचना तकनीकी सलाहकार को देगा और तकनीकी सलाहकार का यदि सुनवाई के स्थगत के कारणों से समाधान हो जाता है तो वह सुनवाई के लिए दूसरी तारीख नियत कर सकेगा।
9. **मुख्य निरीक्षक या निरीक्षण करने वाले प्राधिकारी की उपस्थिति.**—सभी अपीलों में तकनीकी सलाहकार विनिश्चय करेगा कि यथास्थिति, मुख्य निरीक्षक या निरीक्षण करने वाले प्राधिकारी की क्या उपस्थिति अपेक्षित है और वह तदनुसार, निदेश जारी करेगा।
10. **साक्षियों की उपस्थिति.**—सभी अपीलों में तकनीकी सलाहकार विनिश्चय करेगा कि क्या साक्षियों की उपस्थिति अपेक्षित है और वह तदनुसार, निदेश जारी करेगा।
11. **एकपक्षीय रूप से विनिश्चय.**—यदि नियत तारीख को अपीलार्थी उपस्थित नहीं है तो अपील का उसकी अनुपस्थिति में विनिश्चय किया जा सकेगा।
12. **अपीलों पर प्रदत्त प्रमाण पत्रों के लिए अपेक्षित फीस.**—किसी प्रमाण पत्र को प्रदान करने या नवीकरण करने के लिए प्राधिकृत करने वाला कोई आदेश या अपील लागू फीस का संदाय करने के अधीन होगी।
13. **अपील प्राधिकारी के आदेश का पुनरीक्षण.**—(1) अधिनियम की धारा 20क के अधीन अपील प्राधिकारी के किसी आदेश के पुनरीक्षण के लिए आवेदक अपीलार्थी द्वारा तकनीकी सलाहकार के पास उसे ऐसे आदेश की संसूचना के दो मास के भीतर किया जाएगा जिसे वह समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित तीन सदस्यीय अपील बोर्ड के समक्ष रखेगा।  
(2) अपील बोर्ड के सदस्य बायलरों या अनुबंधियों के विनिर्माता संगठनों, भारतीय मानक ब्यूरो, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, इंजीनियरी परामर्शदाता संगठनों, बायलरों के उपयोगकर्ता जैसे संगठनों से अपेक्षित तकनीकी जानकारी रखने वाले भली प्रकार अर्हित व्यक्ति होंगे।  
(3) अपील बोर्ड के सदस्य का आवेदन में कोई हित का द्वंद्व नहीं होगा।  
(4) अपील बोर्ड का गठन अपील प्राधिकारी के आदेश के पुनरीक्षण का आवेदन प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर किया जाएगा और अपील बोर्ड की बैठक उसके गठन से एक मास के भीतर की जाएगी।

14. अपील प्राधिकारी के आदेश के पुनरीक्षण के लिए आवेदन प्रस्तुत करना.—प्रत्येक आवेदन हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा और इसे व्यक्तिगत रूप से रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट से तकनीकी सलाहकार को प्रस्तुत किया जा सकेगा।

15. अपील प्राधिकारी के आदेश के पुनरीक्षण के लिए आवेदन का विनिश्चय करने की प्रक्रिया.—अपील बोर्ड अपील प्राधिकारी से सुसंगत अभिलेखों और अन्य सूचना की अपेक्षा के पश्चात् और उस प्राधिकारी के आवेदन पर संप्रेक्षणों, यदि कोई हों, पर विचार करने के पश्चात् तथा ऐसी तकनीकी सलाह अभिप्राप्त करने के पश्चात् जैसा कि बोर्ड आवश्यक समझे, आवेदन के संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि बोर्ड उपयुक्त समझे और जहां पुनरीक्षण अनुज्ञात किया जाता है, आदेश में उन निबंधनों और शर्तों को विनिर्दिष्ट किया जाएगा जिन पर बायलर की जांच के दौरान इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों से किसी फेरफार से निपटा जाएगा।

16. अपील की लागत.—(1) यथास्थिति, अपील बोर्ड या अपील प्राधिकारी के समक्ष किसी अपील के साथ, “वेतन और लेखा अधिकारी, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग” के पक्ष में सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, उद्योग भवन शाखा, नई दिल्ली के पक्ष में देय एक हजार रुपये का क्रास डिमांड ड्राफ्ट या पे-आर्डर संलग्न होगा।

(2) अपीलों के सभी मामलों में जिनमें निरीक्षण अपेक्षित हो, अपीलार्थी ऐसे निरीक्षण की संपूर्ण लागत अग्रिम में जमा करेगा।

[ फा. सं. 6(1)/ 2011-बायलर्सट ]

अतुल चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव